


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

32



Ru/20-II-16

राजेश्वरी पिता बृजनंदन सिंह निवासी ग्राम मौरा तहसील रामपुर नैकिन जिला

सीधी म0प्र0

----आवेदक

बनाम

1. लीकनाथ पिता छोटेलाल गुप्ता निवासी ग्राम मौरा तहसील रामपुर नैकिन

जिला सीधी म0प्र0

2. म0प्र0 शासन

----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी चोरहट

के अपील प्रकरण क्रमांक

19/अपील/2016-17 आदेश दिनांक

21.10.16 मे पारित

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 21.10.16 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के विपरीत होने से पूरी अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि नायब तहसीलदार बृत्त हनुमानगढ़, तहसील रामपुर के प्रकरण क्रमांक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4120-दो/16

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के प्रकरण क्रमांक 19/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	